

21/3/22

11/5

वकील करिकेन उफो/वकील वादनी के  
निवेदन पर पत्रावली पुनः। (तलब की गई)  
वकील वादनी द्वारा श्री. पत्रावली आदेश  
का पेश किया कि विचार/हीन प्रकरण  
अन्तगत द्वारा 88, 89, 108 RT ACT से  
समन्वित हैं। उक्त. दावे को सिद्ध कर  
पुनः प्राप्त पत्र द्वारा 111, 128, 136 LR  
ACT पेश कर अपने अधिकार प्राप्त  
करना चाहती हूँ। जिसके लिये - थायलय  
की अनुमति आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि डबल दावा को  
विद्वां कर, पी. पत्र प्रस्तुत करने की  
इजाजत दी जाये। प्रस्तुत पाठनी पत्र पर  
वादनी एवं वकील कैरिलेन को सुना  
गया। वकील प्रतिवादी को वादनी के  
पी. पत्र पर कोई आपत्ति नहीं है एवं  
आपनी सहमति दी।

अतः पी. पत्र वादनी स्वीकार  
किया जाता है एवं दावा वादनी वकील  
द्वारा पर विद्वां किया जाता है तथा  
वादनी को पी. पत्र धारा 111, 128, 136  
LR Act प्रस्तुत करने की इजाजत दी  
जाती है। पत्रावली दारिपत्र दफ्तर  
है।

उपखण्ड अधिकारी  
पहाड़ी (भरतपुर)